न्यायालय– उप जिलाधिकारी निजामाबाद आजमगढ़।
वाद सं0 336 सन् 2012 अन्तर्गत धारा 143 जा0वि0 अधि0
मौजा–फरिहा, परगना–निजामाबाद, तहसील–निजामाबाद , जनपद–आजमगढ़
श्री हरिहर जी महाविद्यालय, बनाम सरकार

## निर्णय

[illegible]यालय, प्रबन्धक, श्री हरिहर जी महाविद्यालय,, परगना—निजामबाद, तहसील–निजामाबाद , [illegible]जमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आराजी मौजा–फरिहा, [illegible]जामबाद, तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ के आ0 नं0 3116क रकबा 0.028 हे0, 3117 [illegible]299 हे0, 3150 रकबा 0.016 हे0, 3151 रकबा 0.046 हे0, एवं 3161 रकबा 0.088 हे0, 3119 रकबा [illegible] 3123 रकबा 0.081 हे0, 3116ख रकबा 0.119 हे0, 3152 रकबा 0.122 हे0 कुल रकबा 1.019 हे0 [illegible] (10190 वर्ग मी0) पर अपना उक्त विद्यालय का निर्माण करा चुका है। उक्त भूमि सरकारी कागजात [illegible]रिहर जी महाविद्यालय, के नाम से दर्ज हो चुकी है. इस आराजियात में किसी प्रकार का कृषि कार्य [illegible]ता है, उक्त आराजियात को लगान से मुक्त किया जाना न्यायहित में है वाद दर्ज कर रजिस्टर [illegible]लदार निजामाबाद से जाँच कराई गई। तहसीलदार निजामाबाद ने ज0वि0अधि0 के नियम 143 के [illegible]पर एवं अलग से आख्या प्रस्तुत कर कहा है कि मौजा–फरिहा, परगना–निजामबाद, [illegible]–निजामाबाद , जनपद–आजमगढ़ स्थित उपरोक्त 300 नं0 3116क रकबा 0.028 हे0, 3117 रकबा [illegible] हे0, 3150 रकबा 0.016 हे0, 3151 रकबा 0.045 हे0, एवं 3161 रकबा 0.088 हे0, 3119 रकबा 0.225 [illegible] 3123 रकबा 0.081 हे0, 3116ख रकबा 0.119 हे0, 3152 रकबा 0.122 हे0 कुल रकबा 1.019 हे0 अर्थात [illegible]190 वर्ग मी0) में श्री हरिहर जी महाविद्यालय, फरिहा, निजामाबाद, आजमगढ़ का भवन निर्मित है. जो [illegible] कृषि उपयोग में आता है. उक्त भवन में पठन–पाठन का कार्य होता है, उक्त आराजियात श्री हरिहर [illegible] महाविद्यालय, फरिहा, निजामाबाद, आजमगढ़ के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में दर्ज है. जिसे [illegible]आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त गाटे पर कोई विवाद नहीं है।

तहसीलदार की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया। संलग्न उद्धरण खतौनी मौजा–फरिहा, परगना–निजामबाद, तहसील–निजामाबाद, सन 1420 लगायत 1425 [illegible]0 के खाता सं0 1683 के गाटा संख्या आ0 नं0 3116क रकबा 0.028 हे0, 3117 रकबा 0.299 हे0, 3150 रकबा 0.016 हे0, 3151 रकबा 0.045 हे0, एवं 3161 रकबा 0.088 हे0, 3119 रकबा 0.225 हे0, 3123 रकबा 0.081 हे0, 3116ख रकबा 0.119 हे0, 3152 रकबा 0.122 हे0 कुल रकबा 1.019 हे0 अर्थात (10190 वर्ग मी0) पर श्री हरिहर जी महाविद्यालय, फरिहा, निजामाबाद, आजमगढ़ का नाम बजरिए प्रबन्धक दर्ज है। इन गाटों का सम्पूर्ण रकबा आबादी की शक्ल में तब्दील हो चुका है। अतः इन गाटों को गैर कृषि प्रयोजन के रूप में प्रख्यापित कर दिये जाने में कोई बाधा नहीं है।

## आदेश

परगना–निजामबाद, तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ के खतौनी वर्ष 1420 लगायत 1425 फ0 के खाता सं0 1683 के गाटा संख्या आ0 नं0 3116क रकबा 0.028 हे0, 3117 रकबा 0.299 हे0, 3150 रकबा 0.016 हे0, 3151 रकबा 0.045 हे0, एवं 3161 रकबा 0.088 हे0, 3119 रकबा 0.225 हे0, 3123 रकबा 0.081 हे0, 3116ख रकबा 0.119 हे0, 3152 रकबा 0.122 हे0 कुल रकबा 1.019 हे0 अर्थात (10190 वर्ग मी0) को गैर–कृषि प्रयोजन के रूप में प्रख्यापित किया जाता है। परवाना अमलदरामद नियम 136 के अनुसार जारी हो। उसकी प्रति उप निबन्धक निजामाबाद को बिना शुल्क रजिस्ट्री हेतु भेजी जाय और सब रजिस्टार रजिस्ट्रीय करने के बाद रजिस्ट्रेशन की तिथि व मिसिलबन्द नम्बर अंकित कर एक प्रति वापस करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक 14.11.012

([illegible])
उप–जिलाधिकारी
निजामाबाद आजमगढ़

R.N.
सचिव
श्री हरिहर जी महाविद्यालय ट्रस्ट
फरिहा, आजमगढ़

Scanned with CamScanner